

Papers laid on the Table by Ministers/Members

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि.668(अ) जो दिनांक 14 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि.670(अ) जो दिनांक 14 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 01 फरवरी, 2022 की अधिसूचना सं.सा.का.नि.85(अ) और 01 फरवरी, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.86 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि.674(अ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 06 जुलाई, 2019 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.476(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि.703(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.796(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पाँच) सा.का.नि.727(अ) जो दिनांक 9 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.943(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि.738(अ) जो दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.796(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि.758(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि.804(अ) जो दिनांक 28 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 19 अगस्त, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.617(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि.805(अ) जो दिनांक 28 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.153(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 10094/17/23]

(2) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि.711(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.673(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि.759(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.690(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि.762 (अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.691(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि.765(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.692(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पाँच) सा.का.नि.768(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.694(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि.771(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.696(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि.774(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.673(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि.777 (अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.674(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि.780(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.676(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा.का.नि.783(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.677(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 10095/17/23]

(3) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 689(अ) जो दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 683 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 690(अ) जो दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 684 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 691(अ) जो दिनांक 26 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 685(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 712(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 666 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पाँच) सा.का.नि. 760(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 683 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 763(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 684 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 766(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 685 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 769(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 687 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि. 772(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 689 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा.का.नि. 775(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 666 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा.का.नि. 778(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 667 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा.का.नि. 781(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 669(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा.का.नि. 784(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 670 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 10096/17/23]

(4) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक - एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा.का.नि. 713(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 710 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 761(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 702 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 764(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 703 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 767(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 704 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पाँच) सा.का.नि. 770(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 706(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 773(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 708 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 776(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 710(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 779(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 711(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि.782(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.713(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा.का.नि.785(अ) जो दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.714 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 10097/17/23]

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9 क की उपधारा (7) के अन्तर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 735(अ) जो 12 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए चीन पीआर में उद्भूत वहां से निर्यातित "70 ली काउंट से नीचे वाले फ्लैक्स यार्न" के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 10098/17/23]

(6) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 672 (अ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम कूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाने और एविएशन टर्बाइन ईंधन के

निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2002 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 673(अ) जो दिनांक 15 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 700(अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम कूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने और एविएशन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 701 (अ) जो दिनांक 29 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 747(अ) जो दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम कूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने और एविएशन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 748(अ) जो दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 810(अ) जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पेट्रोलियम कूड के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाने और एविएशन टर्बाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 811(अ) जो दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा जिनके द्वारा डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम करने के लिए दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[Placed in Library, See No. LT 10099/17/23]

(7) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, जो दिनांक 10 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/143 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 10100/17/23]

? (व्यवधान)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10101/17/23]

(3) केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 44 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एनएसयू/डीआर/अध्यादेशों का प्रकाशन/2023 जो दिनांक 5 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति के, उसमें उल्लिखित अध्यादेश अधिसूचित किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10102/17/23]

12.02½ hrs